फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– उदयलाल
केस/मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.
क्रमांक

विपक्षी :– ऊंकारलाल
पत्रावली संख्या : 06/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक 27.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपत्रकार उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 से 6 की तरफ से वकालत पत्र अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा द्वारा पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 6 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 8 से 12, 14 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 8 से 12, 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 7, 13, 15 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 4 से 6 व खातेदार मांगीया पुत्र लालु के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हैं। खातेदार मांगीया पुत्र लालु का निधन हो चुका है जिसके विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 3 होना बताया हैं। शेष विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नगा 17 की आराजी नम्बर 1254, 1255, 337, 338, 340, 341, 344, 345 किता 08 रकबा 2.9900 हक्टेयर व खाता संख्या नगा 18 की आराजी नम्बर 339 किता 1 रकबा 0.0600 हे. भूमि के चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो [illegible] हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें [illegible] पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना [illegible] लिया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] फीस [illegible] राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगा।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश चन्द्र बहाडेया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर